

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

148

क्रमांक:-सीआईडी / सी.बी. / पीआरसी / परिपत्र / (35) / 2012-13 / 257-325 दिनांक:-08/01/2013

परिपत्र

विषय:- न्यायालय में पुलिस अधिकारियों / कर्मियों के साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- एस.बी. क्रिमिनल मिस. थर्ड वे। एप्लीकेशन नं. 7793/2012 में माननीय उच्च न्यायालय (राज.), जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 03.01.2013

हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारी / कर्मचारियों को बार-बार तलब दिए जाने तथा अनेक अवसरों पर मुल्जिम के न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर भी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने को गंभीरता से लिया है। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 03.01.2013 द्वारा महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर को इस संबंध में कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।

2. सम्मन-वारंट की तामील के संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (सी.बी.) के पत्र क्रमांक: सी.आई.डी. / सी.बी. / पीआरसी / परिपत्र / (35) / 2012 / 6246-95 दिनांक 23.07.2012 एवं सी.आई.डी. / सी.बी. / पीआरसी / परिपत्र / (35) / 2012 / 9973-98 दिनांक 20.11.2012 द्वारा न्यायालय में सम्मन / वारंटों की तामील हेतु निर्देश दिए गए हैं।

3. इन आदेशों की निरन्तरता में निर्देश दिये जाते हैं कि दस वर्ष या दस वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान वाले प्रकरणों में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में होने पर साक्ष्य हेतु पुलिस अधिकारी / कर्मचारी को न्यायालय द्वारा बुलाए / तलब किये जाने पर वे आवश्यक रूप से साक्ष्य देने हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

4. इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए :-


- (i) 10 वर्ष या अधिक सजा के प्रावधान वाले प्रकरणों में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में होने पर सम्मन / वारंट का अंकन पृथक रंग की स्याही से किया जाए तथा माह एवं वर्ष के अंत में पृथक से गोरखारा दर्जवाया जाए।
- (ii) इन सम्मन / वारंट की तामील प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए।

- (iii) पुलिस अधिकारियों/कर्मियों के सम्मन/वारंट की तामील यथा संभव उनसे उच्चाधिकारियों के माध्यम से कराई जाए।
- (iv) पुलिस अधिकारी/कर्मियों ऐसे प्रकरणों में आवश्यक रूप से साक्ष्य हेतु उपरिगत हों।
- (v) अपरिगण्य परिस्थितियों में अपने उच्चाधिकारी जो पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक स्तर से अवर नहीं हो, के माध्यम से ही साक्ष्य हेतु अग्रिम तारीख हेतु आवेदन किया जाए।
- (vi) ऐसे प्रकरणों के सम्मन वारंट की तामील सुनिश्चित करने हेतु थानाधिकारी हर संभव प्रयास करेंगे।
- (vii) तामील के उपरान्त भी उपरोक्त बिन्दु संख्या 05 में अंकित संक्षम अधिकारी/कर्मचारियों की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु संक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाए।
- (viii) थाना भ्रमण/निरीक्षण के समय सहायक पुलिस आयुक्त/वृत्ताधिकारी ऐसे प्रकरणों के सम्मन/वारंट की तामील हेतु प्रयास एवं स्तर की समीक्षा करेंगे तथा लापरवाही पाई जाने पर विभागीय कार्रवाई हेतु संक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाएंगे।
- (ix) पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी थाना भ्रमण/निरीक्षण के समय ऐसे प्रकरणों में सम्मन/वारंट की तामील एवं इन निर्देशों की पालना के स्तर की समीक्षा करेंगे एवं किसी प्रकार की लापरवाही/कमी पाए जाने पर आवश्यक रूप से विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

5. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक बार माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु जारी किए जाने वाले सम्मन/वारंट में प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या एवं प्रकरण की धाराओं का अंकन नहीं किया जाता है। अतः अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से पृथक से प्रार्थना की जा रही है कि अधीनस्थ न्यायालयों को इस प्रकार के प्रकरणों के सम्मन/वारंट जारी करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या एवं प्रकरण की धाराओं का अंकन स्पष्ट रूप से करने तथा प्रकरण में


10 वर्ष या अधिक की सजा एवं अभियुक्त के अभिक्षा में होने की स्थिति में लाल स्याही से अंकित करने हेतु आदेश/निर्देश पारित किए जाएं ताकि ऐसे प्रकरणों की तामील विशेष रूप से कराई जा सके। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देशों से पृथक से अवगत कराया जाएगा।

इन निर्देशों से सभी 'अधीनस्थ' पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया जाए तथा इनकी सख्ती से गालना की जाए।


(हरीश चन्द्र मीना)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना/ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशकगण कारागार, होमगार्ड एवं ए.सी.बी. तथा समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को प्रेषित का निवेदन है कि वे अपने समस्त अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मियों को पालनार्थ सूचित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज राजस्थान को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
3. पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मध्य जीआरपी अजमेर/जोधपुर को पालना एवं उनके क्षेत्राधिकार में स्थित खनिज विभाग, आबकारी विभाग, स्थानीय निकायों एवं राजस्थान राज्य खान एवं निगम में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों/कर्मियों की जानकारी में लाने हेतु।
4. प्राचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
5. समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय/आर.ए.सी./एम.बी.सी. एवं मोटर ड्राइविंग स्कूल, बीकानेर।


अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
सी.आई.डी. (सी.बी.)
राजस्थान, जयपुर।